

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 178]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 23, 2014/माघ 03, 1935

No. 178]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 23, 2014/MAGHA 03, 1935

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 2014

का. आ. 224 (अ).—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 146 तारीख 18 जनवरी, 2013, जो भारत के राजपत्र तारीख 19 जनवरी, 2013, में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पश्चिम बंगाल राज्य में पारादीप (उड़ीसा) से दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल) तक वाया हल्दिया एलपीजी परिवहन के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 27 मई, 2013, तक उपलब्ध करा दी गई थी ;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है ;

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात, और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगा ।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाइपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई वाद, दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी ।

अनुसूची

पुलिस स्टेशन : मेमारी		जिला : बर्द्धमान	राज्य : पश्चिम बंगाल		
क्रम सं.	मौजा का नाम	खसरा सं. (एल.आर.)	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
1	साहापुर — 49	200	00	01	80
		207	00	04	23
		206	00	04	60
		205	00	01	90
		208	00	01	20
		189	00	04	60
		187	00	06	30
2	नगरकोणा — 48	1112	00	00	40
		1111	00	03	20
		1110	00	01	00
		1108	00	10	70
		1107	00	02	20
		1106	00	01	50
		1105	00	00	20
		778	00	02	50
		777	00	00	50
		779	00	01	80
		780	00	02	00
		776	00	00	20
		781	00	04	70
		785	00	01	80
		787	00	03	40
		789	00	00	50
		790	00	00	20
		788	00	00	60
		791	00	03	30
		811	00	01	90
		810	00	01	60
		808	00	00	20
		812	00	02	30
		813	00	00	20
2	नगरकोणा — 48 (जारी....)	814	00	00	60

		816	00	02	40
		817	00	00	20
		818	00	02	10
		819	00	00	20
		509	00	00	90
		822	00	03	10
		823	00	01	00
		824	00	00	40
		825	00	05	40
		487	00	00	60
		486	00	01	30
		483	00	00	80
		482	00	00	30
		481	00	04	40
		480	00	02	60
		469	00	01	20
		470	00	00	20
		466	00	02	10
		467	00	00	30
		462	00	00	20
		463	00	02	20
		465	00	00	20
		464	00	00	20
		461	00	00	80
		460	00	03	40
		458	00	00	30
		459	00	02	90
		404	00	01	30
		398	00	01	80
		395	00	02	90
		397	00	00	20
		392	00	00	20
		394	00	01	80
		393	00	00	40
		373	00	02	90
		354	00	02	40
		355	00	00	20
		353	00	00	20
		374	00	00	20
2	नगरकोणा - 48 (जारी.....)	371	00	02	70

		372	00	00	30
		369	00	01	00
		364	00	03	30
		363	00	01	80
		246	00	00	40
		296	00	06	20
		297	00	03	10
		298	00	00	40
3	कोडारपाड़ा — 41	184	00	13	80
		170	00	01	70
		169	00	02	00
		171	00	00	20
		167	00	04	20
		166	00	01	70

[फा. सं. आर.—25011 / 16 / 2012—ओ.आर.— I]

पवन कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM & NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th January, 2014

S.O. 224 (E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 146 dated the 18th January, 2013, issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Gazette of India dated the 19th January, 2013, the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for the transportation of Liquefied Petroleum Gas from Paradip (Odisha) to Durgapur (West Bengal) Via Haldia by Indian Oil Corporation Limited;

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public up to 27.05.2013;

And whereas the competent authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted report to the Central Government;

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in Indian Oil Corporation Limited, free from all encumbrances.

Indian Oil Corporation Limited shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P & MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE

P S: Memari		District : Burdwan	State : West Bengal		
Sl. No.	Name of the Mouza	Khasra No. (L.R.)	Area		
			Hectare	Are	Square meter
1	2	3	4	5	6
1	Sahapur - 49	200	00	01	80
		207	00	04	23
		206	00	04	60
		205	00	01	90
		208	00	01	20
		189	00	04	60
		187	00	06	30
2	Nagarkona - 48	1112	00	00	40
		1111	00	03	20
		1110	00	01	00
		1108	00	10	70
		1107	00	02	20
		1106	00	01	50
		1105	00	00	20
		778	00	02	50
		777	00	00	50
		779	00	01	80
		780	00	02	00
		776	00	00	20
		781	00	04	70
		785	00	01	80
		787	00	03	40
		789	00	00	50
		790	00	00	20
		788	00	00	60
		791	00	03	30
		811	00	01	90
		810	00	01	60
		808	00	00	20
		812	00	02	30
2	Nagarkona - 48 (Contd...)	813	00	00	20
		814	00	00	60
		816	00	02	40
		817	00	00	20

		818	00	02	10
		819	00	00	20
		509	00	00	90
		822	00	03	10
		823	00	01	00
		824	00	00	40
		825	00	05	40
		487	00	00	60
		486	00	01	30
		483	00	00	80
		482	00	00	30
		481	00	04	40
		480	00	02	60
		469	00	01	20
		470	00	00	20
		466	00	02	10
		467	00	00	30
		462	00	00	20
		463	00	02	20
		465	00	00	20
		464	00	00	20
		461	00	00	80
		460	00	03	40
		458	00	00	30
		459	00	02	90
		404	00	01	30
		398	00	01	80
		395	00	02	90
		397	00	00	20
		392	00	00	20
		394	00	01	80
		393	00	00	40
		373	00	02	90
		354	00	02	40
		355	00	00	20
		353	00	00	20
2	Nagarkona - 48 (Contd...)	374	00	00	20
		371	00	02	70
		372	00	00	30
		369	00	01	00

		364	00	03	30
		363	00	01	80
		246	00	00	40
		296	00	06	20
		297	00	03	10
		298	00	00	40
3	Konarpara - 41	184	00	13	80
		170	00	01	70
		169	00	02	00
		171	00	00	20
		167	00	04	20
		166	00	01	70

[F. No. R-25011/16/2012-OR-I]

PAWAN KUMAR, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 2014

का. आ. 225 (अ).—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 235 तारीख 31 जनवरी, 2013, जो भारत के राजपत्र तारीख 02 फरवरी, 2013, में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पश्चिम बंगाल राज्य में पारादीप (उड़ीसा) से दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल) तक वाया हल्दिया एलपीजी परिवहन के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 03 जुलाई, 2013, तक उपलब्ध करा दी गई थी ;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है ;

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात, और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगा ।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अध्याधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाइपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई वाद, दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी ।

अनुसूची

पुलिस स्टेशन : कौकसा		जिला : वर्द्धमान	राज्य : पश्चिम बंगाल		
क्रम सं.	मौजा का नाम	खसरा सं. (आर.एस.)	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
1.	पानागड़ — 85	649	00	02	50
		648	00	00	50
		650	00	02	60
		593	00	01	70
		629	00	02	30
		630	00	00	60
		628	00	02	30
		631	00	00	20
		627	00	01	60
		632	00	01	50
		626	00	00	20
		633	00	00	70
		634	00	08	10
		620	00	00	30
		617	00	04	50
		618	00	00	60
		614	00	02	40
		603	00	00	20
		613	00	04	60
		610	00	02	00
		611	00	03	60
		608	00	00	30
		39	00	02	00
		44	00	03	30
		40	00	00	40
		43	00	02	70
		45	00	00	30
		110	00	01	10
		111	00	00	20
		109	00	02	30
		108	00	03	60
		46	00	00	20

	पानागड़ - 85 (जारी....)	105	00	02	60
		107	00	01	30
		105 / 4506	00	05	60
		104	00	00	20
		104 / 4648	00	01	20
		103	00	01	60
		82	00	04	20
		81	00	01	50
		133	00	12	70
		227	00	01	20
		214	00	01	10
		213	00	03	90
		1 / 4598	00	06	70
		204	00	10	30
		205	00	09	20
		202	00	01	10
		198	00	02	90
		192	00	03	90
		197	00	02	10
		196	00	01	10
		193	00	09	10
		191	00	01	00
		190	00	06	70
		178	00	03	10
		179	00	01	20
		182	00	01	30
		181	00	04	70
		180	00	03	10
		170	00	03	20
		167	00	06	50
		151	00	01	60
		153	00	02	60
		152	00	00	40
		165	00	06	50
		164	00	03	10
		157	00	00	20
		158	00	00	20
		159	00	00	40

	पानागड — 85 (जारी....)	160	00	00	40
		163	00	02	10
		161	00	01	90
		162	00	01	30
		2922	00	02	10
		2920	00	00	80
		2919	00	02	40
		2875 / 4470	00	00	20
		2875 / 4468	00	01	60
2.	बिरुडिहा — 76	2675 / 3249	00	28	10
		2647	00	00	30
		2648 / 3244	00	01	00
		2649	00	01	60
		2657	00	00	80
		2658	00	01	90
		2673	00	06	30
		2673 / 3142	00	00	80
		2676 / 3192	00	06	60
		2676 / 3190	00	00	20
		2675 / 3187	00	04	20
		2675 / 3084	00	08	10
		497	00	04	20
		496	00	00	20
		493	00	02	40
		491	00	02	40
		492	00	00	20
		500	00	00	20
		503	00	01	00
		489	00	01	50
		487	00	00	40
		485	00	05	10
		505	00	00	20
		484	00	00	90
		480	00	06	50
		481	00	00	20
		478 / 3106	00	10	70
		470	00	05	10

	बिरुडिहा – 76 (जारी....)	471	00	04	70
		480 / 3105	00	00	20
		196	00	00	80
		198	00	02	30
		197	00	00	20
		200	00	03	10
		201	00	04	10
		203	00	04	90
		204	00	01	20
		204 / 3038	00	01	50
		211	00	00	20
		212	00	03	40
		214	00	03	60
		216	00	00	20
		213	00	05	50
		221	00	01	10
		222	00	00	50
		50	00	09	60
		57	00	00	20
		58	00	04	90
		59	00	01	50
		27 / 3198	00	01	20
		60	00	02	50
		27	00	02	60
		29	00	03	70
		30	00	05	80
		37	00	00	60
		31	00	03	40
		21	00	02	10
		20	00	00	40
		19	00	03	30
		2 / 3223	00	09	60
3.	माणिकाड़ा – 77	563	00	01	50
		562	00	01	10
		560	00	04	00
		557	00	00	50
		559	00	04	30
		575	00	03	40

माणिकाडा - 77 (जारी. . . .)	574	00	02	30
	576	00	02	40
	585	00	05	70
	584	00	00	20
	586	00	03	30
	583	00	01	10
	593	00	03	90
	592	00	03	50
	594	00	00	20
	617	00	00	80
	612	00	06	50
	616	00	00	40
	615	00	00	20
	613	00	01	20
	628 / 2297	00	02	00
	628 / 2296	00	02	30
	628	00	01	30
	627	00	04	40
	628 / 2213	00	03	00
	633	00	02	70
	639	00	02	30
	435	00	00	20
	426	00	06	80
	424	00	06	00
	414	00	00	80
	416	00	02	10
	415	00	02	70
	417	00	08	60
	468 / 2385	00	00	80
	417 / 2250	00	02	10
	397	00	14	30
	395	00	01	40
	394	00	01	80
	393	00	03	60
	186	00	01	80

[फा. सं. आर.-25011 / 21 / 2012-ओ.आर-I]

पवन कुमार, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th January, 2014

S.O. 225 (E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 235 dated the 31st January, 2013, issued under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Gazette of India dated the 2nd February, 2013, the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for the transportation of Liquefied Petroleum Gas from Paradip (Odisha) to Durgapur (West Bengal) Via Haldia by Indian Oil Corporation Limited;

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public up to 03.07.2013;

And whereas the competent authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act submitted report to the Central Government;

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in Indian Oil Corporation Limited, free from all encumbrances."

Indian Oil Corporation Limited shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P & MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE

P S: Kanksa		District : Burdwan	State : West Bengal		
Sl. No.	Name of the Mouza	Khasra No.	Area		
		(R.S.)	Hectare	Are	Square meter
1	2	3	4	5	6
1	Panagar - 85	649	00	02	50
		648	00	00	50
		650	00	02	60
		593	00	01	70
		629	00	02	30
		630	00	00	60

Panagar - 85 (Contd...)	628	00	02	30
	631	00	00	20
	627	00	01	60
	632	00	01	50
	626	00	00	20
	633	00	00	70
	634	00	08	10
	620	00	00	30
	617	00	04	50
	618	00	00	60
	614	00	02	40
	603	00	00	20
	613	00	04	60
	610	00	02	00
	611	00	03	60
	608	00	00	30
	39	00	02	00
	44	00	03	30
	40	00	00	40
	43	00	02	70
	45	00	00	30
	110	00	01	10
	111	00	00	20
	109	00	02	30
	108	00	03	60
	46	00	00	20
	105	00	02	60
	107	00	01	30
	105/4506	00	05	60
	104	00	00	20
	104/4648	00	01	20
	103	00	01	60
	82	00	04	20
	81	00	01	50
	133	00	12	70
	227	00	01	20
	214	00	01	10
	213	00	03	90
	1/4598	00	06	70

	Panagar - 85 (Contd...)	204	00	10	30
		205	00	09	20
		202	00	01	10
		198	00	02	90
		192	00	03	90
		197	00	02	10
		196	00	01	10
		193	00	09	10
		191	00	01	00
		190	00	06	70
		178	00	03	10
		179	00	01	20
		182	00	01	30
		181	00	04	70
		180	00	03	10
		170	00	03	20
		167	00	06	50
		151	00	01	60
		153	00	02	60
		152	00	00	40
		165	00	06	50
		164	00	03	10
		157	00	00	20
		158	00	00	20
		159	00	00	40
		160	00	00	40
		163	00	02	10
		161	00	01	90
		162	00	01	30
		2922	00	02	10
		2920	00	00	80
		2919	00	02	40
		2875/4470	00	00	20
		2875/4468	00	01	60
2	Birudiha - 76	2675/3249	00	28	10
		2647	00	00	30
		2648/3244	00	01	00
		2649	00	01	60
		2657	00	00	80

	Birudiha - 76 (Contd...)	2658	00	01	90
		2673	00	06	30
		2673/3142	00	00	80
		2676/3192	00	06	60
		2676/3190	00	00	20
		2675/3187	00	04	20
		2675/3084	00	08	10
		497	00	04	20
		496	00	00	20
		493	00	02	40
		491	00	02	40
		492	00	00	20
		500	00	00	20
		503	00	01	00
		489	00	01	50
		487	00	00	40
		485	00	05	10
		505	00	00	20
		484	00	00	90
		480	00	06	50
		481	00	00	20
		478/3106	00	10	70
		470	00	05	10
		471	00	04	70
		480/3105	00	00	20
		196	00	00	80
		198	00	02	30
		197	00	00	20
		200	00	03	10
		201	00	04	10
		203	00	04	90
		204	00	01	20
		204/3038	00	01	50
		211	00	00	20
		212	00	03	40
		214	00	03	60
		216	00	00	20
		213	00	05	50

	Birudiha - 76 (Contd...)	221	00	01	10
		222	00	00	50
		50	00	09	60
		57	00	00	20
		58	00	04	90
		59	00	01	50
		27/3198	00	01	20
		60	00	02	50
		27	00	02	60
		29	00	03	70
		30	00	05	80
		37	00	00	60
		31	00	03	40
		21	00	02	10
		20	00	00	40
		19	00	03	30
		2/3223	00	09	60
3	Manikara - 77	563	00	01	50
		562	00	01	10
		560	00	04	00
		557	00	00	50
		559	00	04	30
		575	00	03	40
		574	00	02	30
		576	00	02	40
		585	00	05	70
		584	00	00	20
		586	00	03	30
		583	00	01	10
		593	00	03	90
		592	00	03	50
		594	00	00	20
		617	00	00	80
		612	00	06	50
		616	00	00	40
		615	00	00	20
		613	00	01	20
		628/2297	00	02	00

Manikara - 77 (Contd...)	628/2296	00	02	30
	628	00	01	30
	627	00	04	40
	628/2213	00	03	00
	633	00	02	70
	639	00	02	30
	435	00	00	20
	426	00	06	80
	424	00	06	00
	414	00	00	80
	416	00	02	10
	415	00	02	70
	417	00	08	60
	468/2385	00	00	80
	417/2250	00	02	10
	397	00	14	30
	395	00	01	40
	394	00	01	80
	393	00	03	60
	186	00	01	80

[F. No. R-25011/21/2012-OR-I]

PAWAN KUMAR, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 2014

का. आ. 226 (अ).—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 234 तारीख 31 जनवरी, 2013, जो भारत के राजपत्र तारीख 02 फरवरी, 2013, में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पश्चिम बंगाल राज्य में पारादीप (उड़ीसा) से दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल) तक वाया हल्दिया एलपीजी परिवहन के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 01 जुलाई, 2013, तक उपलब्ध करा दी गई थी ;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है ;

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात, और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ;

अनुसूची

पुलिस स्टेशन : कौकसा		जिला : वर्द्धमान	राज्य : पश्चिम बंगाल		
क्रम सं.	मौजा का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल		
		(एल. आर.)	हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
1	कौकसा — 86	374	00	01	60
		375	00	00	20
		373	00	01	30
		376	00	03	00
		371	00	00	40
		380	00	03	60
		379	00	02	40
		382	00	02	80
		381	00	00	20
		383	00	02	80
		384	00	00	90
		385	00	00	80
		386	00	01	20
		387	00	00	80
		388	00	01	20
		389	00	01	70
		393	00	01	10
		392	00	00	80
		396	00	01	60
		397	00	00	50
		1088	00	09	30
		407	00	01	40
		957	00	03	00
		1679/4815	00	00	60
		950	00	00	20
		951	00	03	90
		956	00	00	20
		952	00	02	00
		953	00	04	40
		948	00	00	20
		943	00	05	40
		942	00	00	80
		941	00	01	10

1	कॉकसा - 86 (जारी....)	549	00	00	30
		548	00	02	80
		546	00	00	20
		547	00	02	50
		545	00	02	20
		551	00	05	30
		552	00	11	50
		554	00	01	70
		539 / 4357	00	03	00
		557	00	00	30
		558	00	03	00
		559	00	02	40
		562	00	02	20
		564	00	03	10
		567	00	14	10
		566	00	09	80
		565	00	00	20
		1558	00	02	80
		1557	00	06	30
		1560	00	01	00
		3091 / 4776	00	02	10
		1566	00	03	10
		1567	00	04	10
		1576	00	02	30
		1568	00	05	00
		1569	00	03	70
		1570	00	01	60
		1507	00	00	40
		1513	00	00	20
		1510	00	00	20
		1504	00	05	10
		1511	00	00	40
		1495	00	00	20
		1496	00	02	10
		1497	00	02	10
		1492	00	01	80
		1494	00	00	20
		1493	00	00	20
		1491	00	02	10

1	कॉकसा — 86 (जारी....)	1490	00	00	20
		1457	00	02	50
		1458	00	00	20
		1456	00	01	20
		1459	00	04	00
		1460	00	03	20
		1222	00	07	90
		1223	00	00	90
		1224	00	02	80

[फा. सं. आर.—25011 / 21 / 2012—ओ.आर—I]

पवन कुमार, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th January, 2014s

S.O. 226(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 234 dated the 31st January, 2013, issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Gazette of India dated the 2nd February, 2013, the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for the transportation of Liquefied Petroleum Gas from Paradip (Odisha) to Durgapur (West Bengal) Via Haldia by Indian Oil Corporation Limited;

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public up to 01.July.2013;

And whereas the competent authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted report to the Central Government;

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in Indian Oil Corporation Limited, free from all encumbrances."

Indian Oil Corporation Limited shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P & MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE

P S: Kanksa		District : Burdwan	State : West Bengal		
Sl. No.	Name of the Mouza	Khasra No.	Area		
		(L.R.)	Hectare	Are	Square meter
1	2	3	4	5	6
1	Kanksa - 86	374	00	01	60
		375	00	00	20
		373	00	01	30
		376	00	03	00
		371	00	00	40
		380	00	03	60
		379	00	02	40
		382	00	02	80
		381	00	00	20
		383	00	02	80
		384	00	00	90
		385	00	00	80
		386	00	01	20
		387	00	00	80
		388	00	01	20
		389	00	01	70
		393	00	01	10
		392	00	00	80
		396	00	01	60
		397	00	00	50
		1088	00	09	30
		407	00	01	40
		957	00	03	00
		1679/4815	00	00	60
		950	00	00	20
		951	00	03	90
		956	00	00	20
		952	00	02	00
		953	00	04	40
		948	00	00	20
		943	00	05	40
		942	00	00	80
		941	00	01	10

		549	00	00	30
1	Kanksa - 86 (Contd...)	548	00	02	80
		546	00	00	20
		547	00	02	50
		545	00	02	20
		551	00	05	30
		552	00	11	50
		554	00	01	70
		539/4357	00	03	00
		557	00	00	30
		558	00	03	00
		559	00	02	40
		562	00	02	20
		564	00	03	10
		567	00	14	10
		566	00	09	80
		565	00	00	20
		1558	00	02	80
		1557	00	06	30
		1560	00	01	00
		3091/4776	00	02	10
		1566	00	03	10
		1567	00	04	10
		1576	00	02	30
		1568	00	05	00
		1569	00	03	70
		1570	00	01	60
		1507	00	00	40
		1513	00	00	20
		1510	00	00	20
		1504	00	05	10
		1511	00	00	40
		1495	00	00	20
		1496	00	02	10
		1497	00	02	10
		1492	00	01	80
		1494	00	00	20
		1493	00	00	20
		1491	00	02	10
		1490	00	00	20

		1457	00	02	50
1	Kanksa - 86 (Contd...)	1458	00	00	20
		1456	00	01	20
		1459	00	04	00
		1460	00	03	20
		1222	00	07	90
		1223	00	00	90
		1224	00	02	80

[F. No. R-25011/21/2012-OR-I]

PAWAN KUMAR, Under Secy.